# न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 02/2023

श्री राजूलाल गुर्जर पुत्र श्री दुर्गालाल गुर्जर पता–मकान नं. 08, ज्योति नगर बम्बोर रोड अन्नपूर्णा डूँगरी टोंक राज. ई–मेल rajdigigyan@gmail.com राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

––प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**निर्णय** **दिनांक 27.02.2023**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 18.10.2022 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने दिनाक 02.11.2022 से लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:–

1 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, देवली को राजूलाल गुर्जर, निवासी बालून्दा ने दिनांक 12.09.2022 को प्रतिलिपी प्राप्त करने के लिए आवेदन रजिस्टर्ड डाक से किया गया था अतः उक्त आवेदन के प्राप्ति क्रमांक एवं दर्ज रजिस्टर क्रमांक की सूचना/प्रति उपलब्ध कराने बाबत् ।

2 उपखण्ड अधिकारी महोदय, देवली वाद ( दावा) संख्या 160/2021 में पेश जवाब दावा एवं आदेशिका की सूचना/प्रति उपलब्ध कराने बाबत् ।

3 उपखण्ड अधिकारी महोदय, देवली प्रार्थना पत्र (T.I.) संख्या 285/2021 में पेश जवाब प्रार्थना पत्र एवं आदेशिका की सूचना/प्रति उपलब्ध कराने बाबत् ।

4 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, देवली को राजूलाल गुर्जर, निवासी बालून्दा ने दिनांक 12.09.2022 को प्रतिलिपी प्राप्त करने के लिए आवेदन पर की अब तक की गई कार्यवाही सूचना/प्रति उपलब्ध कराने बाबत।

5 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, देवली को राजूलाल गुर्जर, निवासी बालून्दा ने दिनांक 12.09.2022 को प्रतिलिपी प्राप्त करने के लिए आवेदन को स्वीकार किया गया या अस्वीकृत सूचना/प्रति उपलब्ध कराने बाबत् ।

6 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, देवली को राजूलाल गुर्जर, निवासी बालून्दा ने दिनांक 12.09.2022 को प्रतिलिपी प्राप्त करने के लिए आवेदन पर की प्रार्थी को प्रतिलिपी उपलब्ध कराई गई है या नही कराई गई सूचना/प्रति उपलब्ध कराने बाबत्।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक को पत्र कमांक 55

जिला कलेक्टर
टोंक

दिनांक 13.01.2023 व 77 दिनांक 24.01.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थितं नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली ने पत्र कमांक RTI/2023/86 दिनांक 1.02.2023 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र कमांक 5026 दिनांक 15.11.2022 से सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)